जिला कलक्टर
154/2016 श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधि. सं0 154/2016 अनवानी श्री मनफूल सिंह जाखड़ निवासी इंदिरा चौक, नई लाईन, गंगाशहर, बीकानेर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

11.02.2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री मनफूल सिंह जाखड़ उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री विजेन्द्र लिपिक उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मनफूल सिंह जाखड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.06.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1– वर्ष 2011–2012 से लेकर वर्ष 2013–2014 तक के समय में आपके कार्यालय द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया उन कर्मचारियो के नाम व पिता का नाम की सूचि उपलब्ध करावें।

2– वर्ष 2011–2012 से लेकर वर्ष 2013–2014 तक के समय में आपके कार्यालय द्वारा डीपीसी एवं रिव्यू डीपीसी में जो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया उस समय जो जो प्रार्थीयों ने दसवीं पास की अंक तालिकायें कार्यालयों में प्रस्तुत की उन सभी अंकतालिकाओं को जिस जिस बोर्ड कार्यालय से प्रमाणित करवाने के संबंध में जो जो पत्र लिखे गये उन सभी पत्रों की प्रमाणित प्रतियां व उनके वापिस बोर्ड कार्यालयों से अंकतालिकाओं की प्रमाणित करने के संबंध में जो जो पत्र आये उन सबकी फोटो स्टेट प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें एवं दो बच्चे होने के शपथ पत्र दिये गये उन शपथ पत्रों की भी फोटो स्टेट प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त सूचनांओ के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे जो जबाब दिया गया है उससे वह बिल्कुल सन्तुष्ट नही है जो उसके द्वारा सूचना चाही गई है वह उसे निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8बी) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित कर उसे दिलवाई जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या एफ.1(23)(13)स्था./16/11043 दिनांक 24.10.16 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त वांछित सूचना का बिन्दूवार प्रतिउत्तर उनके कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 7158 दिनांक 30.06.16 द्वारा पंजिकृत डाक से अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन पत्र दिनांक 05.06.2016 से जो सूचना चाही गई है वह सूचना या तो तृतीय पक्षकारो (लोकसेवको) से संबंधित है या फिर लोकसेवको (तृतीय पक्षकारो) की व्यक्तिगत सूचना है जिस कारण अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नही करवाई गई है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में न तो कोई लोकहित दर्शाया गया है और न ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, वांछित सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतू बाध्य करता है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 7158 दिनांक 30.06.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का जबाब
1– वर्ष 2011–2012 से लेकर वर्ष 2013–2014 तक के समय में आपके कार्यालय द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया उन कर्मचारियो के नाम व पिता का नाम की सूचि उपलब्ध करावें।	वांछित सूचना लोकसेवको (तृतीय पक्षकारो) से संबंधित है। सूचना प्रकटन के संबंध में कोई लोकहित दिखाई नही देता है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 8(1) के उपभाग (ई) एवं (जे) के तहत सूचना देय नही है।
2– वर्ष 2011–2012 से लेकर वर्ष 2013–2014 तक के समय में आपके कार्यालय द्वारा डीपीसी एवं रिव्यू डीपीसी में जो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया उस समय जो जो प्रार्थीयों ने दसवीं पास की अंक तालिकायें कार्यालयों में प्रस्तुत की उन सभी अंकतालिकाओं को जिस जिस बोर्ड कार्यालय से प्रमाणित करवाने के संबंध में जो जो पत्र लिखे गये उन सभी पत्रों की प्रमाणित प्रतियां व उनके वापिस बोर्ड कार्यालयों से अंकतालिकाओं की प्रमाणित करने के संबंध में जो जो पत्र आये उन सबकी फोटो स्टेट प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें एवं दो बच्चे होने के शपथ पत्र दिये गये उन शपथ पत्रों की भी फोटो स्टेट प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें।	वांछित सूचना लोकसेवको (तृतीय पक्षकारो से संबंधित है। सूचना प्रकटन के संबंध में कोई लोकहित दिखाई नही देता है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 8(1) के उपभाग (ई) एवं (जे) के तहत सूचना देय नही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है **और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए और निश्चित अभिलेख की सूचना होनी चाहिए।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को **किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि चाही गई सूचनांए विस्तृत है और निश्चित नही है व तृतीय पक्ष से संबंधित है। चाही गई सूचनांए तृतीय पक्ष से संबंधित होने से तृतीय पक्ष को भी सुने जाने का अधिनियम में प्रावधान है। चूंकि तृतीय पक्ष को सुनवाई हेतु कोई नोटिस दिया जाना प्रतीत नही होता है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी किसी निश्चित अभिलेख सूचना लेना चाहे और वह सूचना तृतीय पक्ष की हो तो दोनो पक्षो को सुनकर और आपति होनें पर सूचना अधिकार के प्रावधानो के अन्तर्गत ही सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के संबंध में निर्णय किया जावे।

अतः उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर